# अज अदालत लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज

**केम्प कोर्ट रूखाडा भागीरथ राम R.A.S**

प्रार्थी — बनाम — अप्रार्थीगण

जब्बरसिह पुत्र वरदसिह जाति राजपूत
निवासी राडबर तहसील शिवगंज

सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

राजस्व प्रार्थना पत्र– 07/2014

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 08.10.2021

## –:आदेश:–

प्रशासन गॉवो के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प रूखाडा मे पत्रावली पेश हुई, प्रार्थी जब्बरसिह उपस्थित। तहसीलदार शिवगंज की और से प्रकरण मे रेकर्ड की मौका स्थिति रिपोर्ट पेश हुई । तहसीलदार शिवगंज से राजस्व रेकर्ड तलब किये जाने पर पेश हुआ। मूल नामान्तरकरण संख्या 120 का मिलान किये जाने पर खसरा नम्बर 7/50 रकबा 2–10 एंव खसरा नम्बर 7/49 रकबा 2–00 बीघा दायर किये जाने के बाद खसरा नम्बर 7/49 रकबा 2–00 पर पेन्सिल से गोल घेरा बनाकर नामान्तरकरण के नीचे खसरा नम्बर 7/50 का ही अमल दरामद किये जाने का पेन्सिल नोट अकित किया गया है। तहसील रेकर्ड जमाबंदी सवत् 2022–2025 मे खाता संख्या 148 का जमाबंदी मे पृष्ठ नही है तथा आगे के अन्य पृष्ठ फटे हुए है। इसके बाद की जमाबंदी मे प्रार्थी जब्बरसिह की खसरा नम्बर 7/50 रकबा 2–10 बीघा की ही खातेदारी दर्ज है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा मूल राजस्व रेकर्ड से मिलान किये जाने पर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज नामान्तरकरण संख्या 120 एंव जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटो प्रति पेश की है जिससे मूल नामान्तरकरण मे दर्ज खसरा नम्बर 7/50 का ही अमल दरामद किये जाने का पेन्सिली नोट दर्शित नही हो रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट वास्ते रेकर्ड दुरस्त किये जाने बाबत मात्र उक्त नामान्तरकरण संख्या 120 मे दर्ज खसरा नम्बर नम्बर 7/50 रकबा 2–10 एंव खसरा नम्बर 7/49 रकबा 2–00 बीघा का अंकन के आधार पर ही पेश किया जबकि पटवारी हल्का ने दोनो खसरा नम्बर का अंकन किये जाने के पश्चात नामान्तरकरण के नीचे मात्र खसरा नम्बर 7/50 का ही अमल दरामद किये जाने की पेन्सिल से टिप्पणी कर उसके अनुसार ही जमाबंदी मे दर्ज किया है तथा इसी आधार पर प्रार्थी के नाम से खसरा नम्बर 7/50 रकबा 2–10 खातेदारी दर्ज है।

अतः तहसील राजस्व रेकर्ड नामान्तरकरण संख्या 120 मे दर्ज एंव अंकित नोट के अनुसार खसरा नम्बर 7/50 रकबा 2/10 बीघा भूमि की खातेदारी अमल दरामद की गई है जो उक्त नामान्तरकरण के नीचे अंकित पेन्सिल नोट से प्रमाणित होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्व रेकर्ड के आधार पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

बसब्त आज दिनांक 8.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(भागीरथ राम R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)
लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर (S.D.O.) शिवगंज

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.03 16:19:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि तहसीलदार शिवगंज को पालनार्थ।

लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Lok adalat